रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 2002/श्रावण 28, 1924

No. 379] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 2002/SRAVANA 28, 1924

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 20 सितम्बर, 2001

सा.का.नि. 574(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) और धारा 47 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

1. (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001 कहा जायेगा।

(2) ये तत्काल लागू होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में अनुसूची 2 के पैरा (1) के उप पैरा (4) में परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रस्थापित करें, यथा,

"बशर्ते इस पैराग्राफ में दी गई 24 प्रतिशत की सीमा को संबंधित भारतीय कंपनी उसके निदेशक मंडल द्वारा संकल्प पारित करके और उस संकल्प के संबंध में कंपनी की आम सभा द्वारा विशेष संकल्प पारित करके सेक्टोरल कैप/संविधिक सीमा तक, यथा प्रयोज्य, बढ़ा सकते हैं।"

[सं. फेमा 45/2001-आरबी]

कि.ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th September, 2001

G.S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No FEMA 20/

2000-RB dated 3rd May 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force with immediate effect

2. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, in Schedule 2, in paragraph (1), in sub-paragraph (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the limit of 24% referred to in this paragraph may be increased up to the sectoral cap/statutory ceiling, as applicable, by the Indian company concerned by passing a resolution by its Board of Directors followed by passing of a special resolution to that effect by its General Body."

[No FEMA. 45/2001-RB]

K.J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 18 मार्च, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटीयाँ) (संशोधन) विनियमावली, 2002

सा.का.नि. 575(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (ञ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटीयाँ) विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनता है, यथा :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटीयां) (संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा।

(ii) ये सरकारी गजट में उसकी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

विनियम में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटीयां) विनियमावली, 2000 (इसके पश्चात् "उक्त विनियमों" के रूप में उल्लिखित हैं)

(i) वर्तमान विनियम 5 के उप-विनियम (क) को "(क)(i)" के रूप में संख्यांकित करें।

(ii) इस प्रकार यथासंख्यांकित उप-विनियम (क)(i) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम स्पष्टीकरण के पहले जोड़ा जाये, यथा:—

(iii) किसी निर्यातक कंपनी के रूप में भारत में निवासी व्यक्ति भारत के बाहर किसी संविदा हेतु बोली लगाने के लिए बोली बाण्ड गारंटी के बदले में गारंटी अनुमोदन देने वाले प्राधिकरण के बिना अनुमोदन दे सकता है बशर्ते कि ऐसी गारंटी की राशि संविदा मूल्य का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[सं. फेमा 56/2002-आरबी]

कि.ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th March, 2002

Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2002

G.S.R. 575(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (3) of section 6, Sub-Section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its notification No.FEMA 8/2000-RB dated 3rd May 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations 2000, namely :—

Short title & commencement :—

1 (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2002.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment to the Regulation

2 In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "the said Regulations")

(i) The existing Regulation 5, Sub-Regulation (a) shall be numbered as "(a)(i)".

(ii) after Sub-Regulation (a)(i) as so numbered, the following Sub-Regulation shall be inserted, before Explanation, namely:—

(iii) a person resident in India being an exporter company may give guarantee in lieu of Bid Bond Guarantee, for bidding for a contract outside India without the approval of the Approving Authority provided that the amount of such guarantee shall not exceed 5% of the contract value.

[No. FEMA. 56/2002-RB]

K.J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 13 मई, 2002

विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों के विप्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2002

सा.का.नि. 576(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों के विप्रेषण) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों के विप्रेषण) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा।

(ii) ये भारत सरकार की सरकारी गज़ट में उसके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

विनियमों में संशोधन

2 विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों के विप्रेषण) विनियमावली, 2000 में

(क) विनियम 2 में .—

खण्ड (ii) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये; यथा :—

"(iii) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) का अर्थ भारत के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है।"

(ii) वर्तमान खंड (iii), (iv) और (v) क्रमश: (iv), (v) और (vi) के रूप में पुन: संख्यांकित करें।

(ख) विनियम 4 में;

(i) उप विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित करें, यथा :—

"(1) उप विनियम (2) तथा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी प्राधिकृत व्यापारी के जरिए आस्तियों के विप्रेषण उन उप-विनियमों में उल्लिखित सीमा तक कर सकता है।"

(ii) विनियम 2 में "प्रति कैलेण्डर वर्ष 20 लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर "प्रति कैलेण्डर वर्ष 1,00,000 अमेरिकी डालर (एक लाख अमेरिकी डालर मात्र)" शब्दों को प्रतिस्थापित करें।

(iii) उप विनियम 2 के बाद निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जाये :—

"(3) अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति विरासत/पैतृक संपत्ति के निम्नलिखित के प्रस्तुतीकरण के मार्ग से उनके द्वारा भारत में अर्जित आस्तियों में से प्रति कैलेण्डर वर्ष 1,00,000 अमेरिकी डालर (एक लाख अमेरिकी डालर मात्र) से अनधिक राशि का विप्रेषण कर सकता है।

(क) विरासत/पैतृक संपत्ति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, और

(ख) विप्रेषण के लिए आयकर प्राधिकारी से कर निकासी/अनापत्ति प्रमाणपत्र।"

बशर्ते कि जहा विप्रेषण एक से अधिक किश्त में किया गया है; सभी किश्तों के विप्रेषण उसी प्राधिकृत व्यापारी के जरिए किया जाना चाहिए।

(iv) उप विनियम (3) के लिए निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जाये :—

(v)

"(4) भारत में प्राधिकृत व्यापारी भारतीय रिज़र्व बैंक के बिना अनुमोदन उप विनियम (2) अथवा उप विनियम (3), जैसा कोई मामला हो, के अधीन पात्र किसी व्यक्ति द्वारा किये गये आस्तियों के विप्रेषण पूरा कर सकता है।"

(ग) विनियम 6 में

उप विनियम 1 (i) जोड़ा जाये :—

"(i) भारत के बाहर स्थायी रूप से निवासी किसी विदेशी राष्ट्र के राष्ट्रिक के लिए पैतृक संपत्ति, वसीयत अथवा विरासत के कारण प्रति कैलेण्डर वर्ष 1,00,000 अमेरिकी डालर (एक लाख अमेरिकी डालर मात्र) से अधिक विप्रेषण।"

[सं. फेमा 62/2002-आरबी]

कि.ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2002

Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2002

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of Notification No FEMA 13/2000-RB dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000, namely :—

Short title and commencement

1 (i) These Regulations may be called the "Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2002".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of India.

Amendment of the Regulations

2. In the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000,

(a) In Regulation 2.

(i) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iii) 'Non-Resident Indian (NRI)' means a person resident outside India who is a citizen of India."

(ii) The existing clauses (iii), (iv) and (v) shall be renumbered as (iv), (v) and (vi) respectively.

(b) In Regulation 4,

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(1) A person specified in sub-regulations (2) and (3) may make remittance of assets through an authorised dealer, to the extent specified in those sub-regulations."

(ii) in sub-regulation (2), the words, " Rs.20 lakhs per calendar year" shall be substituted with the words, " US $ 1,00,000 (US Dollar One lakh only) per calendar year."

(iii) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(3) A Non-resident Indian (NRI)/Person of Indian Origin (PIO), may remit an amount, not exceeding US$ 1,00,000 (US Dollar One lakh only) per calendar year, out of the assets in India acquired by him by way of inheritance/legacy on production of,

i) documentary evidence in support of the inheritance/legacy, and

(b) a Tax clearance/ no objection certificate from the Income-Tax authority for the remittance."

Provided that where the remittance is made in more than one installment, the remittance of all installments shall be made through the same authorised dealer

(iv) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely —

"(4) An Authorised dealer in India may, without approval from Reserve Bank, effect remittance of assets made by a person eligible under sub-regulation (2) or sub-regulation (3) as the case may be "

(c) In Regulation 6,

the sub-regulation (1)(i) shall be substituted by —

" (i) Remittance exceeding US$ 1,00,000 (US Dollar One lakh only) per calendar year on account of legacy, bequest or inheritance to a citizen of foreign state permanently resident outside India,"

[No FEMA 62/2002-RB]

K J UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 29 जून, 2002

सा.का.नि. 577(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

1 (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा।

(ii) ये सरकारी गजट में उसकी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2 विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियमावली, 2000 में दिनांक 3 मई, 2000 की भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000 आरबी के साथ संलग्न अनुसूची 1 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के बदले निम्नानुसार किया जाये :—

"फ्लैट/भूखंड का आबंटन न होने/आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद के लिए बुकिंग व्यवहार रद्द होने के कारण आवास भवन एजेन्सियों/विक्रेता द्वारा आवेदन/बयाना रकम/खरीद प्रतिफल की वापसी, ब्याज, यदि कोई (उस पर देय निवल आयकर) के साथ किया जायेगा बशर्ते कि मूल भुगतान, खाताधारक के अनिवासी विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता में से अथवा भारत के बाहर से सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिए विप्रेषण किया गया था और प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की विश्वसनीयता के बारे में संतुष्ट है।"

[सं फेमा 64/2002-आरबी]

कि. ज उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th June, 2002

G.S.R. 577(E).—In exercise of powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000, namely —

1 (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations 2002

(ii) They shall come into force on their publication in the Official Gazette

2 In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000, sub-para (i) of para 3 of Schedule 1 to RBI Notification No FEMA 5/2000-RB dated 3rd May 2000, shall be substituted as under —

" Refund of application / earnest money / purchase consideration made by the house building agencies / seller

on account of non-allotment of flat / plot / cancellation of bookings / deals for purchase of residential / commercial property, together with interest, if any (net of income tax payable thereon), provided the original payment was made out of NRE / FCNR account of the account holder or remittance from outside India through normal banking channels and the authorised dealer is satisfied about the genuineness of the transaction.

[No. FEMA 64/2002-RB]

K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 29 जून, 2002

सा.का.नि. 578(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (1) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जायेगा।

   (ii) ये सरकारी गजट में उसकी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) विनियमावली, 2000 में विनियम 6 के खण्ड (बी) की शर्त सं. (ii) को निकाल दिया जाये और अनुवर्ती शर्तें (iii) और (iv) को क्रमश: (ii) और (iii) ऐसा पुन: संख्याकित किया जाए।

[सं. फेमा 65/2002-आरबी]

कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th June, 2002

G.S.R. 578(E).—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property in India) Regulations 2000, namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property in India) (Amendment) Regulations 2002.

   (ii) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property in India) Regulations 2000, the condition No. (ii) of clause (b) of Regulation 6 shall be deleted and the subsequent conditions (iii) and (iv) shall be renumbered as (ii) and (iii) respectively.

[No. FEMA 65/2002-RB]

K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 27 जुलाई, 2002

सा.का.नि. 579(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (ज) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई, 2000, की अपनी अधिसूचना सं. फेमा 25/2000-आरबी में भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में, जैसा कि समय-समय पर आंशिक संशोधन किया गया है, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, नामत :—

1. (i) इन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2002 कहा जाएगा।

   (ii) ये सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 के अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, नामत :

"विशेष क्षेत्र की इकाई रिज़र्व बैंक के पुर्वानुमति के बगैर पण्य आदान प्रदान या भारत के बाहर के बाजार में पण्य के आयात/निर्यात के कीमत जोखिम से बचाव व्यवस्था के लिए करार कर सकते है, बशर्ते कि ऐसे करार "स्वश्रयी" आधार पर हो।"

स्पष्टीकरण :—"स्वाश्रयी" का मतलब है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की ईकाई आयात/निर्यात लेन-देनों के संबंध में उनके अपने देश के मुख्य भूक्षेत्र या अनुषंगी कंपनी के साथ या विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय करार करने से अलग किया गया है।"

[सं. फेमा 66/2002-आरबी]

कि. ज. उदेशी, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th July, 2002

G.S.R. 579(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (Act 42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivative contracts) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely :—

1. (i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivative contracts)/ (Second Amendment) Regulations, 2002.

   (ii) They shall come into force with effect from their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Foreign exchange derivative contracts) Regulations, 2000, in paragraph 6, the following proviso shall be added, namely :—"Provided that a unit in the Special Economic Zone (SEZ) may, without prior approval of the Reserve Bank, enter into a contract in a commodity exchange or market outside India to hedge the price risk in the commodity on export/import, subject to the condition that such contract is entered into on a "stand-alone" basis.

Explanation :—The term "stand-alone" means that the unit in the SEZ is completely isolated from financial contacts with its parent or subsidiary in the mainland or within the SEZ(s) as far as its import/export transactions are concerned."

[No. FEMA. 66/2002-RB]

K. J UDESHI, Executive Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.